विविध बैंक प्रकरण संख्या 93/2019 (RCMS 2019/00176) भारतीय स्टेट बैंक जरिये श्री निर्मल सिंह संधू, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक,भारतीय स्टेट बैंक, रिटेल एस्सेट्स क्रेडिट केन्द्र, नगरपालिका रोड़, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.) बनाम 1. रमेश कुमार बेनीवाल पुत्र श्री देवी लाल बेनीवाल (प्रो. मै. बेनीवाल ट्रेडिग कम्पनी) 2. विजेन्द्र कुमार बेनीवाल पुत्र देवीलाल 3. देवी लाल बेनीवाल पुत्र मनीराम, वार्ड नं 09 नजदीक पंचायत समिति, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.01.2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण रमेश कुमार, विजेन्द्र कुमार एवं देवीलाल को ऋण सुविधा के रूप में खाता संख्या 34416124955 में दिनांक 20.11.2014 को 15.00 लाख रूपये एवं खाता संख्या 34561744450 में दिनांक 02.01.2015 को 10.00 लाख रूपये कुल 25.00 लाख रूपये (अखरे रूपये पच्चीस लाख मात्र) के ऋण स्वीकृत किये थे और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी देवी लाल की सम्पत्ति वार्ड नं 09 (रिहायशी क्षेत्रफल 141.11 वर्गगज व व्यावसायिक क्षेत्रफल 7.78 वर्गगज), नजदीक पंचायत समिति, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.) मे स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनके ऋण खाते दिनांक 01.11.2018 एवं 28.11.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिये गए। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

17.12.2018 को 24,02,979/—रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 17.12.2018 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया, जो अप्रार्थीगण रमेश कुमार, विजेन्द्र कुमार एवं देवीलाल, पर नोटिस की तामील हो चुकी है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस जारी करने की पोस्ट ऑफिस रसीद एवं प्राप्ति के ट्रेक कन्साईन्मैंट की प्रति भी पेश की है, जिसके अनुसार भी अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त हो चुके है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी देवीलाल द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज् में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति वार्ड नं 09(रिहायशी क्षेत्रफल 141.11 वर्गगज व व्यावसायिक क्षेत्रफल 7.78 वर्गगज), नजदीक पंचायत समिति, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी रमेश कुमार बेनीवाल के खाता संख्या 34416124955 में दिनांक 20.11.2014 को 15.00 लाख रूपये एवं मै. बेनीवाल ट्रेडिंग कम्पनी —प्रो. रमेश कुमार बेनीवाल को खाता संख्या 34561744450 में दिनांक 02.01.2015 को 10.00 लाख रूपये कुल 25.00 लाख रूपये (अखरे रूपये पच्चीस लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति क्रमश। दिनांक 20.11.2014 एवं 02.01.2015 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी देवीलाल की अचल सम्पत्ति वार्ड नं 09 (रिहायशी क्षेत्रफल

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

141.11 वर्गगज व व्यावसायिक क्षेत्रफल 7.78 वर्गगज), नजदीक पंचायत समिति,तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.) प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों के खाते दिनांक 01.11.2018 एवं 28.11.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गए। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 17.12.2018 जारी किया गया है एवं धारा 13(2) का नोटिस पर अप्रार्थीगण रमेश कुमार, विजेन्द्र कुमार एवं देवीलाल पर नोटिस की तामील हो चुकी है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण को जारी धारा 13(2) के नोटिस जारी करने की पोस्ट ऑफिस रसीद एवं प्राप्ति के ट्रेक कन्साईन्मैंट की प्रति भी पेश की है, जिनकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार भी उक्त धारा 13(2) का नोटिस उन पर तामील हो चुका है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस की तामील के बाबजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों ने प्रार्थी बैक की बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पत्ति वार्ड नं 09 (रिहायशी क्षेत्रफल 141.11 वर्गगज व व्यावसायिक क्षेत्रफल 7.78 वर्गगज),

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

नजदीक पंचायत समिति, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.), जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 17.12.2018 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 17.12.2018 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिसों पर अप्रार्थीगण रमेश कुमार, विजेन्द्र कुमार एवं देवीलाल के स्वयं के हस्ताक्षर है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस जारी करने की पोस्ट ऑफिस की रसीद एवं प्राप्ति के ट्रेक कन्साईन्मैंट की प्रति भी पेश की है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसके बाबजूद भी ऋणियों ने बैक की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी देवीलाल की बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति वार्ड नं 09 (रिहायशी क्षेत्रफल 141.11 वर्गगज व व्यावसायिक क्षेत्रफल 7.78 वर्गगज), नजदीक पंचायत समिति, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, सादुलशहर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 23.07.2019 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता** है और

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अप्रार्थी गारंटर देवीलाल बेनीवाल द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल सम्पत्ति वार्ड नं 09 (रिहायशी क्षेत्रफल 141.11 वर्गगज व व्यावसायिक क्षेत्रफल 7.78 वर्गगज), नजदीक पंचायत समिति, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.) में स्थित है, का **भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 20.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर